



  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 1978/माघ 19, 1899  
No. 63] NEWDELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 1978/MAGHA 19, 1899

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

उद्योग मंत्रालय

आवेष

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1978

क्र. आ. 79(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटसन (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आवेष का नाम पटसन (अनुज्ञापन और नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. पटसन (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1961 में, खण्ड 7 के पश्चात् निम्नीलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“7क. अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील :—अनुज्ञापित होने से इनकार करने वाले आदेश या अनुज्ञापित निलंबित करने वाले या रद्द करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश को संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, अपील कर सकेगा,—

(क) यदि आदेश पटसन आयुक्त से भिन्न अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पटसन आयुक्त को, या

(ख) यदि आदेश पटसन आयुक्त द्वारा केंद्रीय सरकार को, उस पर उसके विनिर्देशों के लिए किया गया हो।”

[फा. सं. 9/20/74-जूट]

एन. एस. वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

### ORDER

New Delhi, the 8th February, 1978

**S.O. 79(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, namely :—

1. (1) This Order may be called the Jute (Licensing and Control) (Amendment) Order, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, after clause 7, the following clause shall be inserted, namely :—

**“7A. Appeal against order of licensing authority** :—Any person aggrieved by an order refusing to grant a licence or an order suspending or cancelling a licence may, within a period of thirty days from the date of communication of such order, prefer an appeal,—

(a) if the order is made by the licensing authority, other than the Jute Commissioner, to the Jute Commissioner, or

(b) if the order is made by the Jute Commissioner, to the Central Government,

for his or its decision thereon.”

[F. No. 9/20/74-Jute]

N. S. VAIDYANATHAN, Joint Secy.